



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2009/वि.प.ग./59(3)/41

तिथि: 24. 01. 2017

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (I) (K) के अंतर्गत निम्नलिखित दो विद्यार्थियों को विद्या-परिषद् में एक अकादमिक वर्ष (2016-17) के लिए विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है-

1. सुश्री रेनू सिंह- शोधार्थी (पी-एच.डी.), भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
2. सुश्री स्वेच्छा सिंह- विद्यार्थी (एम.एड.), शिक्षा विभाग

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।


(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
4. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
5. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग।
9. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
10. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. संबंधित फाइल।